पत्रांक – 14/ डी0एल0ए0 एस0एस0बी0 पटना–1/13......611/रा०

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)
अधिघोषणा

पटना, तारीखः 26-02-13

सं..रा. चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम मौजा–दरियापुर, थाना नं0–105, परगना–मनेर, सर्वे थाना–दानापुर, जिला–पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम मौजा–दरियापुर, थाना नं0–105 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–वेश 8.16 एकड़ के बराबर होता है, और जिनका सर्वे खेसरा संख्या–606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629 एवं 630 सभी पूर्ण भाग है और जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:–

उत्तर	:	दानापुर (खगौल) बिहटा सड़क
पूरब	:	खेसरा सं०–706
दक्षिण	:	खेसरा सं०–631 (बांध)
पश्चिम	:	मौजा–नेउरा, थाना नं०–104 का सिमाना

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खानो की आवश्यकता नही है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा 3 के खंड (1) तथा संशोधित अधिनियम के धारा 4 सन 1961 एवं 1984 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

[illegible]
समाहर्त्ता
पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

[illegible]

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0 – 14/ डी0एल0ए0 एस0एस0बी0 पटना–1/13/ –611/रा0, पटना, दिनांक– 26-02-13

प्रतिलिपि 1. तीन प्रतियां में सी0 डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू–अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. समाहर्त्ता, /जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. आई0टी0, मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(5)

C:\Users\Deepak\Desktop\Anjay Ji\MEMO 1.doc